

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु


क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 191/2021

दिनांक : 15/11/2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....नोय्यामाल पु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....युनायाम.....  
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....दीयार बीकान.....पटवार मण्डल.....जा.सा.म.स.  
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....1070-73.....के खाता संख्या.....66, 82.....में  
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....शमशेर पुत्री युनायाम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।  
जिसे सम्मानजनक रूप से.....नोय्यामाल पुत्र युनायाम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....जा.सा.म.स......से करवाने पर पटवारी ने.....शमशेर पुत्री युनायाम.....के  
बजाय.....नोय्यामाल पुत्र युनायाम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....शमशेर पुत्री युनायाम  
के बजाय.....नोय्यामाल पुत्र युनायाम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम  
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....दीयार बीकान.....  
के खाता संख्या.....66, 82.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....शमशेर पुत्री युनायाम  
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....नोय्यामाल पुत्र युनायाम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,  
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

  
15/11/21  
उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)  
चूरु

प्रक्रिया

